कार्मिक , लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

मांग संख्या 73

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

क. वसूलियॉ को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2011-2012			बजट 2012-2013			संशोधित 2012-2013			बजट 2013-2014		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
	राजस्व	109.45	557.68	667.13	169.40	607.60	777.00	104.11	665.04	769.15	157.00	732.87	889.87
	पूंजी	***51.62***	*0.52*	*52.14*	*109.60*	*8.07*	*117.67*	*63.32*	*3.16*	*66.48*	*122.00*	*8.07*	*130.07*
	जोड़	**161.07**	**558.20**	**719.27**	**279.00**	**615.67**	**894.67**	**167.43**	**668.20**	**835.63**	**279.00**	**740.94**	**1019.94**
1. सचिवालय - सामान्य सेवाएं													
1.01 कार्यक्रम संघटक	2052	33.89	62.43	96.32	47.15	74.85	122.00	31.73	71.25	102.98	42.21	78.50	120.71
2. न्याय प्रशासन	2014	...	61.66	61.66	...	65.04	65.04	...	63.71	63.71	...	69.28	69.28
3. कर्मचारी चयन आयोग	2051	...	53.78	53.78	...	53.44	53.44	...	102.73	102.73	...	104.72	104.72
	4059	...	0.49	0.49	...	0.07	0.07	...	...	...	...	0.07	0.07
	जोड़	...	*54.27*	*54.27*	...	*53.51*	*53.51*	...	*102.73*	*102.73*	...	*104.79*	*104.79*
पुलिस													
4. केंद्रीय जांच ब्यूरो	2055	9.30	296.14	305.44	17.67	316.69	334.36	12.70	336.08	348.78	13.30	384.82	398.12
	4055	26.30	0.03	26.33	58.41	3.00	61.41	53.86	2.33	56.19	60.54	3.00	63.54
	जोड़	*35.60*	*296.17*	*331.77*	*76.08*	*319.69*	*395.77*	*66.56*	*338.41*	*404.97*	*73.84*	*387.82*	*461.66*
अन्य प्रशासनिक सेवाएं													
5. प्रशिक्षण	2070	63.04	57.06	120.10	99.74	63.63	163.37	58.68	56.82	115.50	97.99	60.30	158.29
	4059	25.32	...	25.32	48.19	...	48.19	9.16	...	9.16	51.46	...	51.46
	जोड़	*88.36*	*57.06*	*145.42*	*147.93*	*63.63*	*211.56*	*67.84*	*56.82*	*124.66*	*149.45*	*60.30*	*209.75*
6. सतर्कता	2070	2.27	17.07	19.34	...	18.61	18.61	...	19.47	19.47	...	19.73	19.73
7. अन्य व्यय	2070	0.95	13.24	14.19	4.84	15.34	20.18	1.00	14.98	15.98	3.50	15.52	19.02
	4059	...	...	...	3.00	...	3.00	0.30	...	0.30	10.00	...	10.00
	जोड़	*0.95*	*13.24*	*14.19*	*7.84*	*15.34*	*23.18*	*1.30*	*14.98*	*16.28*	*13.50*	*15.52*	*29.02*
8. अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को आवास निर्माण अग्रिम देने के लिए राज्यों को ऋण	7601	...	...	...	...	5.00	5.00	...	0.83	0.83	...	5.00	5.00
जोड़-अन्य प्रशासनिक सेवाएं		**91.58**	**87.37**	**178.95**	**155.77**	**102.58**	**258.35**	**69.14**	**92.10**	**161.24**	**162.95**	**100.55**	**263.50**
9. वास्तविक वसूलियां	2070	...	-3.70	-3.70	...	...	...	...	...	...	...	...	...
कुल जोड़		*161.07*	*558.20*	*719.27*	*279.00*	*615.67*	*894.67*	*167.43*	*668.20*	*835.63*	*279.00*	*740.94*	*1019.94*

	विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. योजना परिव्यय													
1. सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	32052	33.89	...	33.89	47.15	...	47.15	31.73	...	31.73	42.21	...	42.21
2. पुलिस	32055	35.60	...	35.60	76.08	...	76.08	66.56	...	66.56	73.84	...	73.84
3. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	32070	91.58	...	91.58	155.77	...	155.77	69.14	...	69.14	162.95	...	162.95
जोड़		**161.07**	**...**	**161.07**	**279.00**	**...**	**279.00**	**167.43**	**...**	**167.43**	**279.00**	**...**	**279.00**

1. यह प्रावधान निम्नलिखित के संबंध में कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सचिवालय व्यय हेतु है :

(क) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को नियम विनियम बनाने/व्याख्या करने; भर्ती पदोन्नति और आरक्षण नीति, सिविल सेवाओं के पदों के सभी स्तरों/ग्रेडों हेतु प्रवेशन, प्रशिक्षण और पुनश्चर्या कार्यक्रम; केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तें, कॅरिअर और जन शक्ति योजना, सतर्कता, अनुशासन और कल्याण गतिविधियां; भ्रष्टाचार-मामलों और अन्य गम्भीर अपराधों में जांच-पड़ताल और अभियोजन; सरकारी कर्मचारियों की शिकायतों का निवारण; सूचना का अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन इत्यादि संबंधी कार्य सौंपा गया है। इस प्रावधान में सिविल सेवाओं अधिकारी संस्थान, गृह कल्याण केन्द्र, निवासी कल्याण संघों, संस्कृति विद्यालयों आदि को सहायता अनुदान शामिल है। 'सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रचार' की आयोजनागत योजना का प्रावधान भी शामिल है।

(ख) प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग को केन्द्रीय सरकारी अभिकरणों से जुड़ी शिकायतों सहित प्रशासनिक सुधार, ओ एण्ड एम तथा नीति, केन्द्र सरकार ऐजेन्सियों से संबंधित समन्वय और शिकायतों के निवारण से संबंधित मामले; सिविल सेवा दिवस आयोजन, प्रधानमंत्री अवार्ड, मुख्य सचिवों का सम्मेलन इत्यादि के कार्य सौंपे गए हैं। इसमें सरकारी कार्यालयों के आधुनिकीकरण हेतु योजना प्रावधान, प्रशासनिक सुधारों जिसमें ई-शासन को प्रोत्सारहन, सुशासन का संवर्धन, सफलता से सीख, सेवोत्तम आदि रखे गए हैं, संबंधी प्रायोगिक परियोजनाएं भी शामिल हैं; और

(ग) पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग जो उपदान, पेंशन, पेंशनभोगियों को छुटपुट लाभ इत्यादि एवं पेंशनभोगी पॉर्टल सहित सेवानिवृति लाभों से संबंधित योजनाओं को शासित करता है।

2. यह प्रावधान केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के संबंधित-स्थापना व्यय के लिए है, जिसे विशेषत: सरकारी कर्मचारियों की शिकायत निवारण की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

3. यह प्रावधान केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों इत्यादि में निम्न् ग्रेड के कर्मचारियों की भर्ती की परीक्षाओं के संचालन पर व्यय सहित कर्मचारी चयन आयोग के स्थापना संबंधित व्यय के लिए है। इसमें कर्मचारी चयन आयोग के उत्तर-पूर्व क्षेत्र, गुवाहाटी कार्यालय के लिए स्थान की खरीदारी का प्रावधान भी शामिल है।

4. यह प्रावधान केन्द्रीय अन्वेंषण ब्यूंरो के स्थापना संबंधी व्यय के लिए है जिसको सरकारी कर्मचारियों, गैर-सरकारी व्यक्तियों, फर्मों तथा गंभीर अपराध के अन्य मामलों के अन्वेषण और अभियोजन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसमें केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के ई-गवर्नेंस, प्रशिक्षण केन्द्रों का आधुनिकीकरण, तकनीकी एवं फारेंसिक सपोर्ट यूनिटों की स्थापना, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की शाखाओं के लिए कार्यालय/आवास परिसरों का निर्माण हेतु प्रावधान भी शामिल है।

5. इस प्रावधान में सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान एवं लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के स्थापना से संबंधित व्यय शामिल है। ये संस्थान कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं जिनमें फाउण्डेशन पाठ्यक्रमों पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों, मध्य कैरियर प्रशिक्षण आदि शामिल होते हैं ताकि सभी स्तर/ग्रेडों के सचिवालयीय पदाधिकारियों को नवीनतम नियमावली तथा विनियमावली, अभिरूचि आदि से पर्याप्त रूप से सुसज्जित किया जा सके। सीधी भर्ती वाले सहायकों जिन्हें अनिवार्य फाउण्डेशन कोर्स पूरा करना होता है, के लिए वेतन, केन्द्रीय सचिवालय सेवा/केन्द्रीय आशुलिपिक सचिवालय सेवा के कार्मिकों जिन्हें अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति विचार के लिए पूर्व शर्त के रूप में सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान में अनिवार्य प्रशिक्षण पूरा करना होता है, को भी इस मंत्रालय के बजट में केन्द्री कृत रूप में शामिल किया गया है। इसमें भारतीय लोक प्रशासन संस्थान तथा अन्य प्रशिक्षण संस्थानों के लिए अनुदान का प्रावधान, सभी के लिए प्रशिक्षण जैसी स्कीमों, विदेशी प्रशिक्षण के लिए घरेलू वित्तपोषण, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी का एक उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में उन्नयन, सुशासन के लिए राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना तथा सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान में प्रशिक्षण सुविधाओं में विस्तार के लिए प्रावधान भी शामिल है।

6. यह प्रावधान केन्द्रीय सतर्कता आयोग के स्थापना संबंधित व्यय और लोकपाल के सांकेतिक प्रावधान के लिए है।

7. यह प्रावधान लोक उद्यम चयन बोर्ड और केन्द्रीय सूचना आयोग के स्थापना संबंधी व्यय के लिए है। इसमें केन्द्रीय सूचना आयोग के कार्यालय भवन के निर्माण, डाक डिजिटाइजेशन, वीडियो कान्फ्रेन्सिंग सुविधाओं, सूचना का अधिकार पर प्रचार सामग्री को तैयार किया जाना, काल सेन्टर की स्थापना और केन्द्रीय सूचना आयोग के पारदर्शी और जवाबदेही अध्ययन के लिए विंग की स्थापना हेतु आयोजना प्रावधान भी शामिल है।

8. यह प्रावधान अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को अदा किए गए भवन निर्माण अग्रिम हेतु राज्य सरकारों को क्षतिपूर्ति के लिए अभिप्रेत है।